



## XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1252-II-15

जिला- 


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-7-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> ( एम.क.सिंह ) सदस्य</p>	

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 252-II-15

(1) रामलियावन कुशवाहा } पुत्रगणप्री पशु-  
 (2) राजमणि कुशवाहा } कुशवाहा  
 (3) रामबहादर कुशवाहा }  
 जिलागण ग्राम भरसर तहसील  
 गुरहर मिला लोधी (नं. 5) आवेदक

(1) रामप्रथम पुत्र कुशवाहा } विरुद्ध  
 (2) राजकरन पुत्र कुशवाहा }  
 (3) भुल. लक्ष्मी कुशवाहा }  
 (4) काल पुत्र कुशवाहा }  
 (5) बौद्ध पुत्र कुशवाहा }  
 जिलागण ग्राम भरसर तहसील  
 गुरहर मिला लोधी अनावेदक



श्री. विनायक भागवत - एवाकेट  
 द्वारा आज दि. 30-5-15  
 प्रस्तुत

क्लक. 513  
 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विनायक भागवत  
 एवाकेट  
 30/5/15

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत  
 निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 13703/15 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/5/15 को नियत था।
- 2 यह कि, नियत दिनांक 30/5/15 को आवेदक के अधिवक्ता / अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 30/5/15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक / बोर्ड पर चर्चा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 13703/15 पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।